

# कार्यालय आयुक्त,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)200/पार्ट-3/संस्था/बीमा/2010/

17669-720

दिनांक :

02 NOV 2010

समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
संभागीय/जिला कार्यालय

विषय : दिनांक 30.04.2017 से 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत ।

महोदय,

पेंशन विभाग को वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के वित्त विभाग द्वारा चाहे अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु वर्षवार सूचना भिजवाई जानी है जिसके संदर्भ में वर्ष 2016-17 तक की सूचना तो पेंशन विभाग को भिजवाई जा चुकी है । शेष 30.04.2017 से 31.03.2021 की सूचना भिजवाई जानी है ।

अतः वर्तमान में अपने अधीनस्थ संभाग/जिला कार्यालय में पदस्थापित उक्त अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना निम्नांकित प्रारूप में मय प्रमाण-पत्र के मुख्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवस में अवश्य भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावे ।

## प्रारूप

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तांकित विवरण सम्बन्धित कर्मचारियों के सेवाभिलेख के आधार पर अंकित किया गया है जो सही है ।

यदि आपके संभाग/जिला कार्यालय की सूचना शून्य हो तो भी शून्य की सूचना भिजवाई जावे

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।